एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 2428/2006
अजयसिंह बनाम डिवीजनल कमिश्नर कोटा व अन्य

13.4.2007

माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक

श्री आर.एस.अग्रवाल, अधिवक्ता याची की ओर से।

इस रिट याचिका में याची ने आयुक्त, नगर निगम, कोटा द्वारा विपक्षी संख्या 2 को दी गयी निर्माण अनुमति एवं उसके विरुद्व दायर निगरानी को संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा निरस्त किये जाने के आदेश को चुनौती दी है। संभागीय आयुक्त ने आक्षेपित आदेश दिनांक 7.2.2006 के पैरा 7 में यह स्पष्ट रुप से कथन किया है कि नगर निगम द्वारा विपक्षी गजेन्द्रा कुमारी द्वारा प्रस्तुत भूमि का पटटा, शपथपत्र व सम्पत्ति के मालिक श्री बुधसिंह के मृत्यु प्रमाणपत्र के आधार पर उसका प्रथम दृष्ट्या स्वामित्व मानते हुए उसे केवल निर्माण की अनुमति दी थी परन्तु साथ ही यह भी उल्लेखित किया है कि निगरानीकार को इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में यदि कोई हक प्राप्त करना है तो वह केवल सिविल न्यायालय से ऐसा हक प्राप्त कर सकता है एवं पुश्तैनी सम्पत्ति से संबंधित विवाद का निर्णय उनके द्वारा नहीं किया जा सकता।

याची के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि नगर निगम द्वारा निर्माण की स्वीकृति दिये जाने से उनके अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उनका कथन है कि स्वामित्व याची का है एवं विपक्षी संख्या 2 का नहीं है तथा इस बाबत एक दीवानी वाद पक्षकारों के मध्य इसी सम्पत्ति के स्वामित्व के विवाद को लेकर चल रहा है। निर्माण की अनुमति देने से ही विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में मालिकाना हक होना प्रमाणित नहीं माना जा सकता, जैसा कि संभागीय आयुक्त, कोटा ने आक्षेपित आदेश में कथन किया है कि याची इस बाबत कोई भी अनुतोष सक्षम सिविल न्यायालय से ही प्राप्त कर सकता है।

अत: मैं इस रिट याचिका के अन्तर्गत उक्त आदेशों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता किन्तु साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि याची निर्माण की अनुमति दिये जाने के आदेश, जो कि वस्तुत: स्वामित्व पर आधारित है, को भी सक्षम सिविल न्यायालय जिसमें कि इस सम्पत्ति के बाबत विवाद पूर्व से ही लंबित है, में चुनौती देने के लिये स्वतंत्र होगा तथा वह उसी न्यायालय में किसी अन्तरिम आदेश बाबत भी प्रार्थना करने के लिये स्वतंत्र होगा।

यह रिट याचिका इसी टिप्पणी के साथ निस्तारित की जाती है।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति